नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हु

प्रकरण सं0 02/2017 स्टेट बनाम बन्दी सुरेन्द्र कुमार व जमानतदार पीरूराम

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ जो इस हुक्म की में जारी हुए
12.09.18	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। यह प्रकरण बन्दी सुरेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल जाति मेघवाल सा. डोभी तह0 भादरा को inspector General of Prision Punjab Chandigarh द्वारा अपने आदेश कमांक 17150 दिनांक 19.9.2013 से चार सप्ताह का पैरोल स्वीकृत किया गया था । जिसकी 2.00 लाख की जमानत पीरू पुत्र नानू जाति बाल्मीकी सा0 डोभी तह0 भादरा द्वारा प्रस्तुत करने पर बाद तस्दीक जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ द्वारा अपने पत्रांक 9503 दिनांक 15.10.2013 से अधीक्षक मार्डन सैन्ट्रल जेल फरीदकोट पंजाब को बन्दी के जमानत मुचलका भिजवाया गया था। सहायक सुपरडिडैन्ट मार्डन केन्द्रीय सुधार गृह फरीदकोट द्वारा अपने पत्रांक 2891 दिनांक 24.4.14 से अवग कराया गया कि बन्दी सुरेन्द्र कुमार दिनांक 27.11.13 को पुनः जेल में उपस्थित नहीं आया । इसलिए बन्दी के जमानती की जमानत जब्त कर अवगत कराया जावे। इस संबंध में जमानती पीरू को नोटिस जारी किया गया। जमानती के नोटिस पर पुलिस थाना भादरा की तामीली रिपोर्ट के अनुसार जमानती पीरू की मृत्यु 20.3.2015 को हो चुकी है इसके सबंध में पीरू के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी प्रेषित की गयी। बन्दी के जमानती पीरू की मृत्यु 20.3.2015 को हो जाने के कारण उसके विरूद्ध 446 सीआरपीसी की कार्यवाही नहीं की जा सकती । अतः बन्दी जमानती पीरू पुत्र नानू जाति बाल्मीकि सा.डोभी तह0 भादरा के विरूद्ध 446 सीआरपीसी की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेशिका की प्रति अधीक्षक केन्द्रीय मार्डन सुधार गृह फरीदकोट (पंजाब) व प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट हनुमानगढ को जरिये पत्र भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) (प्रभाती लाल जाट) अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official